न्यायधीश के.एस. गरेवाल और न्यायधीश जीतेंद्र चौहान, के समक्ष

कोर्ट अपने स्वयं के प्रस्ताव पर,-याचिकाकर्ता

बनाम

एम. एल. शर्मा,-प्रतिवादी

Crl. 1983 के सीपी नंबर 10

24 सितंबर, 2008

न्यायालय अधिनियम, 1971 की अवमानना -धारा-2(सी)(iii) (ए) और (बी)-अधिवक्ता अधिनियम, 1961-अधिवक्ता समय के भीतर अपील दायर करने में विफल रहे - पेशेवर कदाचार - समय बाधित अपील दायर करने के लिए निर्णयों की प्रमाणित प्रतियों में तारीखों के साथ छेड़छाड़ - हालांकि एक वकील द्वारा वास्तविक छेड़छाड़, लेकिन प्रतिवादी द्वारा अपराध को बढ़ावा देना - यह दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि प्रतिवादी इसमे शामिल था, क्योंकि अपील प्रतिवादी के माध्यम से दायर की गई थी - ऐसे कदाचार के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं - यह आपराधिक अवमानना के समान है - प्रतिवादी पूरा दोष किसी अन्य वकील पर डालकर दायित्व से बच नहीं सकता है - यह उसका प्राथमिक कर्तव्य था की वह, समय सीमा कब समाप्त होगी यह निर्धारित करने के लिए प्रमाणित प्रतियों की जांच करें - समय बाधित अपील दायर करने के लिए स्पष्ट रूप से छेड़छाड़ की गई प्रतिलिपि का उपयोग करके प्रतिवादी केवल माफी के साथ छूट नहीं सकता है - प्रतिवादी को आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया जाता है - एक महीने के लिए साधारण कारावास की सजा का आदेश दिया गया।

यह निर्धारित किया गया कि एक वकील और एक ग्राहक के बीच का रिश्ता विश्वास और भरोसे का एक न्यासी रिश्ता है। ग्राहक अपने वकील पर भरोसा, अच्छा विश्वास रखता है और अपने मुकदमे में उसकी सलाह और सुरक्षा चाहता है। प्रत्ययी रिश्ते में होने के कारण, वकील से देखभाल की बहुत उच्च मानक की उम्मीद की जाती है। उससे अपेक्षा की जाती है कि वह अपने ग्राहक के प्रति वफादार रहे और एक प्रत्ययी के रूप में उसकी स्थिति से कोई लाभ या मुनाफा न हो। इस मामले में श्री मदन लाल शर्मा, वकील द्वारा प्रदर्शित किए गए आचरण की तुलना में एक विश्वासी रिश्ते में आचरण के बहुत उच्च मानक की अपेक्षा की जाती है।

(पैरा 24)

आगे निर्धारित किया गया है, कि श्री डी.एस. संधू और श्री मदन लाल शर्मा अपीलकर्ताओं द्वारा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के अवार्ड्स के विरुद्ध अपील दायर करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए एक साथ लगे हुए थे। अपीलकर्ताओं ने अवार्ड्स की घोषणा के कुछ ही हफ्तों के भीतर फीस और खर्चों का भुगतान कर दिया था, लेकिन समय के भीतर अपील दायर नहीं की गई थी। जब अपीलकर्ताओं ने जवाब के लिए अधिवक्ताओं का पीछा किया तो उन्हें किसी न किसी बहाने से टाल दिया गया और उन्हे फुटबॉल में बदल दिया गया जिसे एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी के पास भेज दिया गया, इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने पूरी फीस और खर्च का पहले से ही भुगतान कर दिया था। श्री डी.एस. संधू या श्री मदन लाल शर्मा द्वारा जांच अधिकारी के समक्ष फीस और व्यय का कोई अलग खाता प्रस्तुत नहीं किया गया था। अपने ग्राहकों के पैसे को अपने पैसे में मिलाना उनकी ओर से पेशेवर कदाचार था। प्रत्येक वकील से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने मुवक्किल से प्राप्त धन के दो खाते रखे, एक उसके पेशेवर शुल्कों के संबंध में और दूसरा किए गए या किए जाने वाले खर्चों के संबंध में। न्यायालय शुल्क एक भारी खर्च है जो अपीलकर्ताओं को अपील दायर करते समय बहुत अधिक खर्च करना पड़ता है। यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में वकील को अदालत की फीस दी गई थी, परंतु अदालत की फीस जमा करने के लिए तुरंत इस्तेमाल किए जाने के बजाय राशि उनके पास ही रह गई थी। इस तरह के कदाचार के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं मिल रहा है और वास्तव में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता है।

(पैरा 28)

आगे यह निर्धारित किया गया कि यह एक ऐसा मामला था जिसमें श्री डी.एस. संधू और श्री मदन लाल शर्मा दोनों ने साथ में काम किया था। श्री डी.एस. संधू ने वास्तविक छेड़छाड़ की थी लेकिन श्री मदन लाल शर्मा ने अपराध को अंजाम देने के लिए उकसाया था। यह दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री थी कि उसे इसकी जानकारी थी। इसके अलावा, छेड़छाड़ की गई प्रमाणित प्रतियों के आधार पर अपील श्री मदन लाल शर्मा के माध्यम से दायर की गई थी। यह आपराधिक अवमानना का मामला बनता है। श्री मदन लाल शर्मा सारा दोष श्री संधू पर डालकर दायित्व से बच नहीं सकते। यह निर्धारित करने के लिए सीमा कब समाप्त हो रही है, सबसे पहले प्रमाणित प्रतियों की जांच करना उनका प्राथमिक कर्तव्य था। वर्तमान मामले में प्रमाणित प्रतियों से यह स्पष्ट था कि तारीखों के साथ छेड़छाड़ की गई है। इसलिए, समय-अवरुद्ध अपील दायर करने के लिए स्पष्ट रूप से छेड़छाड़ की गई प्रति का उपयोग करके, श्री मदन लाल शर्मा केवल माफी मांगकर नहीं बच सकते।

(पैरा 29 और 30)

डी. एस. बराड़, वकील, याचिकाकर्ता के लिए।

आर. एस.चीमा, वरिष्ठ अधिवक्ता, जसदेव सिंह द्वारा सहायता प्राप्त, वकील, अवमाननाकर्ता-प्रतिवादी के लिए।

न्यायधीश के.एस. गरेवाल,

(1) श्री मदन लाई शर्मा, अधिवक्ता, 28 फरवरी, 1983 को माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा जारी अवमानना नोटिस का जवाब देने के लिए हमारे समक्ष अवमाननाकर्ता हैं।

(2) यह मामला कानूनी नैतिकता के कुछ बुनियादी मुद्दों, एक वकील का अपने ग्राहकों के प्रति कर्तव्य और एक वकील को अपने ग्राहकों के कानूनी खर्चों के लिए सौंपे गए पैसे से कैसे निपटना चाहिए, को उठाता है। दूसरा प्रश्न यह है कि यदि वकील अपील को सीमा के भीतर लाने के लिए प्रमाणित प्रति में फैसले की तारीख बदल देता है तो क्या यह अदालत की आपराधिक अवमानना (न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप) है।

(3) अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, चंडीगढ़ ने 4 जनवरी, 1980 को भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 18 के तहत कई संदर्भों का फैसला किया था। भूमि मालिक बलजीत सिंह, मोकम सिंह और ठाठ सिंह स्वाभाविक रूप से उच्च न्यायालय के समक्ष आर.आफ अवार्ड को चुनौती देने के लिए अपील दायर करने में रुचि रखते थे। 1982 की धारा 658, 659 और 660 उनके द्वारा 16 दिसंबर 1981 को वकील श्री मदन लाल शर्मा के माध्यम से दायर की गई थी। इसके बाद, इन अपीलों में सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत देरी की माफी के लिए आवेदन श्री रविंदर सेठ, वकील द्वारा दायर किए गए थे, जिन्होंने श्री मदन लाई शर्मा, वकील की जगह ली थी।

(4) उपरोक्त आवेदन 31 अगस्त, 1982 को प्रथम एकल न्यायाधीश के समक्ष आए थे और यह पाया गया कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा प्रदान की गई निर्णयों की प्रमाणित प्रतियों पर तारीखों के साथ छेड़छाड़ की गई थी, जाहिर तौर पर अपील को सीमा की अवधि के भीतर लाने के लिए। प्रमाणित प्रतियों के साथ छेड़छाड़ का यह कृत्य ही इन कार्यवाहियों का विषय है।

(5) 31 अगस्त, 1982 को माननीय एकल न्यायाधीश ने जिला न्यायाधीश (सतर्कता), हरियाणा को आदेश दिया कि वह एक उन तारीखों का पता लगाने के लिए जांच करें , जिन पर प्रतियों के लिए आवेदन दायर किए गए थे, वे तारीखें जब प्रतियां तैयार की गईं और आपूर्ति की गईं। एक

और दिशा थी यदि जिला न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि तारीखों के साथ छेड़छाड़ हुई है, तो वह आपराधिक मामला दर्ज कराने में संकोच नहीं करेंगे।

(6) जिला न्यायाधीश (सतर्कता), हरियाणा अपनी 31 जनवरी, 1983 की रिपोर्ट में जो निष्कर्ष पर पहुंचे, वह इस प्रकार है:-

“श्री एम.एल. शर्मा ने तीन आर.एफ. दाखिल कर प्रमाणित प्रतियों के साथ छेड़छाड़ करके न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया, जिससे न्याय के हित में बाधा उत्पन्न हुई। श्री शर्मा ने भौतिक परिवर्तन को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसके कोई संकेत नहीं हैं, लेकिन यह दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि उन्हें इसकी जानकारी थी और इसलिए, श्री डी.एस. संधू द्वारा किए गए आपराधिक अपराध के निवारण के लिए वह उत्तरदायी थे। वकील श्री एम.एल. शर्मा को आईपीसी की धारा 109 के साथ पढ़ी गई धारा 193/196/465/471 के तहत कटौती के आरोपों का जवाब देना होगा। .....“यह प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि श्री एम.एल.शर्मा, अधिवक्ता ने न्यायालय से आगे बढ़ने और गुमराह करने की कोशिश की थी। उनके कृत्य से न्याय के हित में बाधा उत्पन्न हुई है और यह न्यायालय की अवमानना भी है।"

विद्वान जिला न्यायाधीश विजिलेंस ने भी यह निष्कर्ष निकाला कि:

"प्रमाणित प्रतियों में तारीखों के साथ छेड़छाड़ बहुत ही भद्दे तरीके से की गई है जो नंगी आंखों से दिखता है।

(7) श्री मदन लाल शर्मा ने अपने हलफनामे दिनांक 13 मई, 1983 में यह स्पष्टीकरण दिया की यह सब कुछ वकील श्री संधु द्वारा किया गया था जिनको अपीलकर्ताओं द्वारा आर.एफ. दाखिल करने के लिए भुगतान किया गया था। यह श्री संधू ही थे जिन्होंने जानबूझकर दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की थी। श्री मदन लाल शर्मा ने भी बिना शर्त माफ़ी मांगी। 13 मई, 1983 को माननीय एकल न्यायाधीश का विचार था कि आपराधिक कार्यवाही के परिणाम की प्रतीक्षा करना उचित होगा और अवमानना याचिका स्थगित कर दी गई।

(8) 17 सितंबर, 1984 को माननीय खंडपीठ ने, 13 मई, 1983 के न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए, आपराधिक कार्यवाही के परिणाम की प्रतीक्षा करने के लिए अवमानना याचिका को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया।

(9) इस मामले को 17 मार्च, 2006 को फिर से माननीय खंडपीठ के समक्ष रखा गया, लेकिन इसे फिर से अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया, क्योंकि आपराधिक कार्यवाही अभी भी लंबित थी।

(10) हालाँकि, जब मामला 28 फरवरी, 2008 को माननीय डिवीजन बेंच के समक्ष रखा गया था, श्री मदन लाई शर्मा के विद्वान वकील ने एक नया हलफनामा दायर करने के लिए समय लिया।

(11) 2008 के आपराधिक विविध 37620 जो सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर किया गया था, के माध्यम से, बाद की कुछ घटनाओं को श्री मदन लाई शर्मा, वकील के अतिरिक्त हलफनामे के साथ रिकॉर्ड पर लाया गया है। 17 जुलाई, 2008 के उनके हलफनामे में जिला न्यायाधीश (सतर्कता) की टिप्पणियों का संदर्भ दिया गया है। इसके अलावा, मामले से संबंधित सभी व्यक्ति, अर्थात्, श्री डी.एस. संधू, वकील, जिन्हें जालसाजी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था; श्री रविंदर सेठ, वकील जिन्होंने अवमाननाकर्ता को सुपरसीड करने के बाद अपीलकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया था; तीनों अपीलकर्ता मर चुके थे। यह आगे कहा गया है कि अवमाननाकर्ता के खिलाफ शुरू किया गया आपराधिक मुकदमा 25 वर्षों से जारी है, लेकिन अभी भी समाप्त नहीं हुआ है।

(12) वकील श्री मदन लाल शर्मा की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील , ने इस आधार पर नियम से मुक्ति का अनुरोध किया है कि जालसाजी का मुख्य कार्य श्री डी.एस. संधू द्वारा किया गया था, जैसा कि जिला न्यायाधीश द्वारा पाया गया था, न कि श्री शर्मा द्वारा।

(13) अब मंच को मामले के प्राथमिक तथ्यों पर दोबारा गौर करने के लिए तैयार किया गया है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या वकील श्री एम.एल शर्मा, न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करने के लिए जिम्मेदार थे और आपराधिक अवमानना के दोषी थे। कोई व्यक्ति जो किसी भी तरीके से न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है, या बाधा डालता है या बाधा डालने की कोशिश करता है, वह न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2(सी)(iii)(ए) और (बी) में परिभाषित अनुसार न्यायालय की आपराधिक अवमानना का दोषी है

(14) यह मामला प्रमाणित प्रतियों के आधार पर तीन अपील दायर करने से संबंधित है जिसमें अपीलों को सीमा के भीतर लाने के लिए तारीखें बदल दी गईं। इसलिए, अपील में अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत संस्करण बहुत महत्वपूर्ण है।

(15) अपीलकर्ता का संस्करण परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत उनके आवेदन सिविल विविध क्रमांक 745/सी-एल 1982 आर.एफ.ए. में 1982 का नंबर 658 में निहित है। इसमें कहा गया है कि अवॉर्ड 4 और 20 जनवरी, 1980 को दिए गए थे। श्री डी.एस. संधू ने अपीलकर्ताओं से संपर्क किया था और कहा था कि वह श्री शर्मा के माध्यम से उच्च न्यायालय में अपील दायर करेंगे और अपीलकर्ताओं से उसे पैसे देने और पहली अपील के प्रयोजन के लिए उसे नियुक्त करने के लिए कहा। श्री संधू ने अनपढ़ ग्रामीणों से संपर्क किया और धन एकत्र करना शुरू किया। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि वह आदेशों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करेंगे और अपील दायर करेंगे। उन्होंने पार्टियों को यह भी आश्वासन दिया कि यदि अपील सफल नहीं हुई तो वह लेटर्स पेटेंट अपील दायर करेंगे। उन्होंने लेटर्स पेटेंट अपील के लिए भी शुल्क की मांग की। एक अवॉर्ड के संबंध में आर.एफ.ए. दाखिल करने के लिए अदालती शुल्क के साथ-साथ प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने और वकील की फीस का खर्च 20 जनवरी, 1980 को सौंप दिया गया था। इसके बाद 19 मार्च, 1980 को एक और अवॉर्ड दिया गया और एक सप्ताह बाद श्री डी.एस. संधू ने अपीलकर्ताओं सहित विभिन्न ग्राहकों से अदालती शुल्क और परामर्श शुल्क एकत्र किया।

(16) अपीलकरता श्री संधु को संपर्क करते रहे जो उन्हें आश्वस्त करते रहे कि प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध नहीं हुई हैं, जिस क्षण वह उपलब्ध होंगी, वह अदालती शुल्क खरीद लेंगे और श्री मदन लाल शर्मा एडवोकेट, जो उनके मित्र थे, के माध्यम से उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करवाएंगे। अपीलकर्ता श्री संधू से पूछताछ करते रहे लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। अंततः अपीलकर्ताओं और श्री संधू के बीच झगड़ा हो गया। गाँव में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गये। श्री संधू ने अपीलकर्ता को बताया कि उन्होंने वास्तव में अपील दायर करने के लिए श्री मदन लाई शर्मा को नियुक्त किया है और उन्हें उनसे संपर्क करना चाहिए।

(17) अपीलकर्ताओं ने श्री मदन लाल शर्मा से संपर्क किया जो तथ्यों की न तो पुष्टि कर रहे थे और न ही इनकार कर रहे थे की कोई अपील दायर की गई थी या नहीं। इस बीच, अन्य भूमि मालिकों द्वारा दायर अपीलों पर निर्णय लिया गया जिनकी भूमि अपीलकर्ताओं की भूमि से सटी हुई थी। अपीलकर्ता फिर से श्री संधू के पास पहुंचे जिन्होंने उन्हें श्री मदन लाल शर्मा से मिलने के लिए निर्देशित किया लेकिन उनके द्वारा किसी भी बात की पुष्टि या खंडन नहीं किया गया। अपीलकर्ता श्री संधू और श्री मदन लाल शर्मा के बीच उलझते रहे। हर बार उन्हें यह आशा दी गई कि अपीलें लंबित हैं। अन्य अपीलकर्ताओं की अपील पर 9 दिसंबर, 1981 को निर्णय लिया गया। इस स्तर पर अपीलकर्ताओं को विश्वास हो गया कि उनकी अपीलें दायर नहीं की गई हैं। उन्होंने फिर से श्री संधू से संपर्क किया और जनवरी, 1982 में उन्होंने श्री मदन लाई शर्मा से संपर्क किया

जिन्होंने उन्हें बताया कि अपील दायर कर दी गई है और तय समय में फैसला किया जाएगा। श्री मदन लाई शर्मा ने उन्हें नियमित प्रथम अपील की एक प्रति भी दिखाई जो उनके पास पड़ी थी।

(18) अपीलकर्ताओं को पता चला कि उनके गांव बुड़ैल में भूमि से संबंधित सभी अपीलों का फैसला हो गया है। जब उन्होंने अपनी अपीलों के फैसले में देरी का कारण जानने के लिए श्री मदन लाल शर्मा से संपर्क किया, तो उन्होंने उनसे कहा कि वे श्री डी.एस. संधू से संपर्क करें और उन्हें परेशान न करें, क्योंकि कागजात अपीलकर्ताओं द्वारा उन्हें नहीं सौंपे गए थे लेकिन श्री स्नधु द्वारा सोपें गए थे। अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय में पूछताछ की और पता चला कि 16 दिसंबर, 1981 को श्री मदन लाल शर्मा द्वारा केवल एक अपील दायर की गई थी और कुछ आपत्तियों के कारण वापस कर दी गई थी, जिसे 31 मई, 1982 को फिर से दायर किया गया था। कार्यालय से पूछताछ में अपीलकर्ताओं को पता चला कि जो प्रति अपील के साथ संलग्न की गई थी, उसे बहुत देर से लागू किया गया था, कुछ कटिंग थीं और अंततः अपील को वापस करने का आदेश दिया गया था।

(19) जब अपीलकर्ताओं ने श्री मदन लाल शर्मा से संपर्क किया, उन्होंने इस मामले में कुछ भी करने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि उन्होंने श्री संधू के कहने पर, श्री संधू द्वारा प्रदान किए गए कागजात के आधार पर अपील दायर की थी।

(20) अपीलकर्ताओं ने अपने उपर्युक्त आवेदन में कहा है कि वे अशिक्षित ग्रामीण थे और उन्हें श्री डी.एस. संधू, वकील द्वारा धोखा दिया गया था, जिन्होंने अपील दायर करने के लिए भारी रकम ली लेकिन कभी भी समय पर प्रमाणित प्रतियों के लिए आवेदन नहीं किया और अंततः अपनी कमी को छुपाने के लिए उसने सीमा की आपत्ति को दूर करने के लिए प्रति गढ़ी।

(21) जिला न्यायाधीश (सतर्कता) ने श्री डी.एस. संधू से गवाह के रूप में परीक्षण किया। श्री संधू ने स्वीकार किया कि प्रतियों पर तारीखों के साथ छेड़छाड़ की गई है, लेकिन उन्होंने इसका दोष श्री मदन लाल शर्मा पर मढ़ा, जिन्हें उन्होंने अपील दायर करने के लिए प्रमाणित प्रतियां सौंपी थीं। तीन अपीलकर्ता बलजीत सिंह, मोकम सिंह और ठाठ सिंह से भी गवाह के रूप में पूछताछ की गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने श्री संधू को अपील दायर करने के उद्देश्य से, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा अवॉर्ड की घोषणा के कुछ दिनों के भीतर 9,000 रु., 6,100 और 14,000 रु का भुगतान किया है। जब श्री संधू से फीस के भुगतान के संबंध में पूछा गया तो उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने दो अपील दायर करने के लिए मोकम सिंह से 6,100 रु. लिए हैं, लेकिन उन्होंने बलजीत सिंह से भुगतान की रसीद स्वीकार नहीं की, यह कहते हुए कि बलजीत सिंह ने श्री मदन

लाल शर्मा को भुगतान किया था, श्री डी.एस. संधू ने स्वीकार किया कि उन्हें ठाठ सिंह से 14,000 रुपये प्राप्त किए हैं और आगे स्वीकार किया कि उसने श्री मदन लाल शर्मा को कुछ राशि का भुगतान किया था और ठाठ सिंह को 4500 रुपये वापस कर दिए थे।

(22) जब जिला न्यायाधीश द्वारा श्री मदन लाल शर्मा की जांच की गई तो उन्होंने मनगढ़ंत बात स्वीकार की और कहा कि अपील प्रमाणित प्रतियों के आधार पर दायर की गई थी जो तीन आर.एफ.ए के साथ संलग्न थीं। जब श्री रविंदर सेठ, वकील से पूछताछ की गई, तो उन्होंने दोष श्री डी.एस.संधू पर डाल दिया, लेकिन इस बात से इनकार किया कि श्री मदन लाल शर्मा ने उनके सामने कभी स्वीकार किया था कि तारीखों के साथ छेड़छाड़ की गई है।

(24) एक चौथाई सदी से भी अधिक समय बाद , प्रमुख गवाह सभी मर चुके हैं। श्री मदन लाल शर्मा अवमानना के आरोप का उत्तर देने के लिए अकेले खड़े हैं।

(24) एक वकील और एक ग्राहक के बीच का रिश्ता विश्वास और भरोसे का एक भरोसेमंद रिश्ता है। ग्राहक अपने वकील पर भरोसा, अच्छा विश्वास रखता है और अपने मुकदमे में उसकी सलाह और सुरक्षा चाहता है। प्रत्ययी रिश्ते में होने के कारण, वकील से बहुत उच्च मानक की देखभाल की उम्मीद की जाती है। उससे अपेक्षा की जाती है कि वह अपने ग्राहक के प्रति वफादार रहे और एक प्रत्ययी के रूप में उसकी स्थिति से कोई लाभ या मुनाफा न हो। इस मामले में श्री मदन लाल शर्मा, अधिवक्ता द्वारा प्रदर्शित किए गए प्रदर्शन की तुलना में एक विश्वासी रिश्ते में आचरण के बहुत उच्च मानक की अपेक्षा की जाती है।

(25) बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम अधिवक्ताओं के अधिनियम, 1961 के तहत बनाए गए हैं में विभिन्न कर्तव्य भी निर्धारित किये गये हैं जो एक वकील को अपने मुवक्किल के प्रति देने होते हैं। अधिवक्ताओं पर पेशेवर आचरण के बहुत ऊंचे मानक थोपे गए हैं। भाग VI के अध्याय II के नियम 25, 26 और 27 इस प्रकार हैं:–

“25. एक वकील को ग्राहक के उसे सौंपे गए पैसे का हिसाब-किताब रखना चाहिए, और खातों को ग्राहक से या उसकी ओर से प्राप्त रकम, उसके लिए किए गए खर्च और फीस के कारण किए गए डेबिट, संबंधित तारीखों और अन्य सभी आवश्यक विवरणों के साथ, दर्शानी चाहिए।

26. जहां किसी ग्राहक से या उसके खाते से धन प्राप्त किया जाता है, खातों में प्रविष्टियों में इस बात का संदर्भ होना चाहिए कि क्या राशियाँ शुल्क या व्यय के लिए प्राप्त की गई हैं और कार्यवाही

के दौरान,कोई भी अधिवक्ता, संबंधित ग्राहक की लिखित सहमति के अलावा, खर्च के किसी भी हिस्से को फीस की ओर मोड़ने के लिए स्वतंत्र नहीं होंगे।

27. जहां उसके ग्राहक की ओर से कोई राशि प्राप्त की जाती है या उसे दी जाती है, ऐसी प्राप्ति का तथ्य ग्राहक को यथाशीघ्र सूचित किया जाना चाहिए।"

(26) पूरी कार्यवाही के दौरान न तो श्री डी.एस. संधू न ही श्री मदन लाल शर्मा, अधिवक्ता, ने तीन अपीलों में अपीलकर्ताओं से प्राप्त फीस और खर्चों के खातों के विवरण प्रस्तुत किए। उन्होंने पेशेवर शुल्क के रूप में ली गई राशि और किए गए खर्चों की राशि का खुलासा नहीं किया।

(27) अमेरिकन बार एसोसिएशन ने वकीलों के लिए व्यावसायिक आचरण के मॉडल नियम भी बनाए हैं (http://www.abanet.org)। हम ग्राहक-वकील संबंध के नियमों का उल्लेख करना चाहेंगे, विशेष रूप से संपत्ति को सुरक्षित रखने के संबंध में नियम 1.15 जिसे निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

(ए) एक वकील ग्राहकों या तीसरे व्यक्तियों की संपत्ति, जो प्रतिनिधितव के संबंध में उसके कब्जे में है, को अपनी खुद की संपत्ति से अलग रखेग। धनराशि को एक अलग खाते में रखा जाएगा जो की उस राज्य में रखा जाएगा जहां वकील का कार्यालय स्थित है, या ग्राहक या तीसरे व्यक्ति की सहमति से कहीं और रखा जाएगा। अन्य संपत्ति की भी इसी प्रकार पहचान की जाएगी और उचित रूप से उसकी सुरक्षा की जाएगी। ऐसे खाते की धनराशि और अन्य संपत्ति का पूरा रिकॉर्ड वकील द्वारा रखा जाएगा और प्रतिनिधित्व समाप्त होने के बाद (पांच वर्ष) की अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा।

(बी) एक वकील उस खाते पर बैंक सेवा शुल्क का भुगतान करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए ग्राहक के ट्रस्ट खाते में वकील के स्वयं के धन को जमा कर सकता है, लेकिन केवल आवश्यक राशि में उस उद्देश्य के लिए ।

(सी) एक वकील को ग्राहक के ट्रस्ट खाते में अग्रिम रूप से भुगतान की गई कानूनी फीस और खर्च जमा करना होगा, जिसे वकील द्वारा केवल तभी वापस लिया जा सकता है जब फीस अर्जित की जाती है या खर्च किए जाते हैं।

(डी) धन या अन्य संपत्ति प्राप्त करने पर जिसमें किसी ग्राहक या तीसरे व्यक्ति का हित हो, वकील को तुरंत ग्राहक या तीसरे व्यक्ति को सूचित करना चाहिए। जैसा कि इस नियम में कहा गया है या अन्यथा कानून द्वारा या ग्राहक के साथ समझौते द्वारा अनुमति दी गई है, उसके

अलावा, एक वकील तुरंत ग्राहक या तीसरे व्यक्ति को कोई भी धनराशि या अन्य संपत्ति वितरित करेगा जिसको ग्राहक या तीसरा व्यक्ति प्राप्त करने के लिए हकदार है और ग्राहक या तीसरे व्यक्ति के अनुरोध पर, तुरंत ऐसी संपत्ति के संबंध में पूर्ण जानकारी प्रदान करेगा।

(सी) जब प्रतिनिधित्व के दौरान एक वकील के पास संपत्ति का कब्जा होता है जिसमें दो या अधिक व्यक्ति (जिनमें से एक वकील हो सकता है) हितों का दावा करते हैं, विवाद का समाधान होने तक वकील द्वारा संपत्ति को अलग रखा जाएगा। वकील को संपत्ति के उन सभी हिस्सों को तुरंत वितरित करना चाहिए जिनके बारे में हितों पर विवाद नहीं है।

(28) हम अधिवक्ताओं की पेशेवर नैतिकता के विषय को कवर करने के लिए अपने फैसले को कुछ हद तक विस्तारित करने के लिए बाध्य हैं। वर्तमान मामले में श्री संधू और श्री मदन लाल शर्मा को अपीलकर्ताओं द्वारा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के अवार्ड्स के खिलाफ अपील दायर करने और उसे आगे बढ़ाने में लगाया गया था। अपीलकर्ताओं ने अवार्ड्स की घोषणा के कुछ हफ्तों के भीतर फीस और खर्चों का भुगतान कर लिया था, लेकिन समय के भीतर अपील दायर नहीं की गई थी। जब अपीलकर्ताओं ने उत्तर के लिए अधिवक्ताओं का पीछा किया तो उन्हें किसी न किसी बहाने से टाल दिया गया, एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी के पास जाने के लिए फुटबॉल में बदल दिया गया, इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने पूरी फीस और खर्च का भुगतान पहले से ही कर दिया था। हमने पहले भी देखा है और फिर से दोहराना चाहेंगे कि श्री डी.एस. संधू या श्री मदन लाल शर्मा द्वारा जांच अधिकारी के समक्ष फीस और व्यय का विवरण करने के लिए कोई अलग खाता प्रस्तुत नहीं किया गया था। यह उनकी ओर से पेशेवर कदाचार था, अपने ग्राहकों के पैसे को अपने पैसे में मिलाना। प्रत्येक वकील से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने मुवक्किल से प्राप्त धन के दो खाते रखे, एक उसके पेशेवर शुल्कों के संबंध में और दूसरा उसे किए गए या किए जाने वाले खर्चों के संबंध में। न्यायालय शुल्क एक भारी व्यय है जिसे अपील दायर करते समय अपीलकर्ताओं को उठाना पड़ता है। यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में वकील को अदालती फीस दी गई थी, अदालती फीस जमा करने के लिए तुरंत इस्तेमाल करने के बजाय उस राशि को उसके पास रख लिया गया था। कोई स्पष्टीकरण नहीं आ रहा है और वास्तव में इस तरह के कदाचार के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता है।

(29) अपील को समय के भीतर लाने के लिए फैसले की तारीख को बदलकर न्यायिक रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ के सवाल पर आते हैं, तो हम विद्वान जिला न्यायाधीश (सतर्कता) द्वारा दिए गए निष्कर्षों की पुष्टि करना चाहेंगे कि यह एक ऐसा मामला था जिसमें श्री डी.एस. संधू और श्री

मदन लाल शर्मा दोनों ने एक साथ काम किया था। श्री डी.एस. संधू ने वास्तविक छेड़छाड़ की थी लेकिन श्री मदन लाल शर्मा ने अपराध करने के लिए उकसाया था। यह दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री थी कि उसे इसकी जानकारी थी। इसके अलावा, छेड़छाड़ की गई प्रमाणित प्रतियों के आधार पर अपील श्री मदन लाल शर्मा के माध्यम से दायर की गई थी। यह आपराधिक अवमानना के समान है।

(30) श्री मदन लाल शर्मा सारा दोष श्री संधू पर डालकर दायित्व से बच नहीं सकते। यह निर्धारित करने के लिए की सीमा समाप्त हो गई है सबसे पहले प्रमाणित प्रतियों की जांच करना उसका प्राथमिक कर्तव्य था। वर्तमान मामले में प्रमाणित प्रतियों से यह स्पष्ट था कि तारीखों के साथ छेड़छाड़ की गई है। इसलिए, स्पष्ट रूप से छेड़छाड़ की गई प्रतिलिपि का उपयोग करके, समय-बाधित अपील दायर करने के लिए, श्री मदन लाल शर्मा केवल माफी मांगकर नहीं बच सकते।

(31) श्री संधू और श्री मदन लाल शर्मा को अपमानजनक कृत्य किए हुआ 27 साल हो चुके हैं। उन्होंने अपीलों को समय-बाधित होने से बचाने के लिए ऐसा किया था, हालांकि उन दोनों को समय के भीतर ही बरकरार रखा गया था। निर्णय की घोषणा के मात्र दो सप्ताह बाद अपीलकर्ताओं ने उन्हे मुकदमा दे दिया था। यह भी स्थापित किया गया है कि उन दोनों को अपील के लिए उनकी पेशेवर फीस और खर्च का भुगतान काफी पहले ही कर दिया गया था।

(32) दोनों ने समय पर कार्रवाई नहीं की, इसलिए, अपील को समय के भीतर लाने के लिए उन्हें कुछ करना पड़ा। वे देरी की माफ़ी के लिए एक आवेदन दायर कर सकते थे, जिन आवेदनों पर आमतौर पर उदारतापूर्वक विचार किया जाता है और अक्सर मंजूर कर लिया जाता है। लेकिन उन्होंने अपने ग्राहकों को बहुत परेशान करने के बाद एक अवैध और अनैतिक रास्ता अपनाया, जिन्हें अपनी अपीलों के भाग्य का पता लगाने के लिए व्यर्थ इधर-उधर भागना पड़ा। उनके सह-ग्रामीणों की सभी संबंधित अपीलों का फैसला कर लिया गया था और मुआवजा बढ़ा दिया गया था।

(33) श्री संधू और श्री मदन लाल शर्मा एक सम्मानित पेशे के सदस्य थे। उनसे सम्मानपूर्वक कार्य करने, पेशेवर नैतिकता का पालन करने और ईमानदारी और आचरण के उच्च मानक का पालन करने की अपेक्षा की गई थी। लेकिन उन्होंने क्या किया। उन्होंने फैसले के खिलाफ अपील समय के भीतर लाने के लिए फैसले के साथ छेड़छाड़ की। श्री संधू को जिला न्यायाधीश (सतर्कता) ने वास्तविक अपराध करते हुए पाया। श्री मदन लाल शर्मा उनके सहयोगी थे। यह भी जिला

न्यायाधीश द्वारा पाया गया। श्री शर्मा को जिस तरह के आचरण के लिए दोषी पाया गया है, उसे कोई भी अदालत बर्दाश्त नहीं कर सकती।

(34) श्री संधू और श्री मदन लाल शर्मा ने भी अपने ग्राहकों के पैसे में, जो कि अदालती फीस और विविध कानूनी खर्चों के लिए था, अस्वाभाविक रूप से, अपने स्वयं के धन से मिश्रित किया। वे अपनी पेशेवर फीस के हकदार थे, लेकिन मुकदमेबाजी में होने वाले खर्च के नहीं। अपने ग्राहकों के धन को उस उद्देश्य के लिए उपयोग किए बिना लंबी अवधि तक अपने पास न्यासी के तोर पर रखना, गबन है और बोहोत ही गंभीर पेशेवर कदाचार है।

(35) उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया गया लेकिन 5 जनवरी, 2001 को एसएल.पी 1192 ऑफ 2000 में पारित सर्वोच्च न्यायालय के मदन लाल शर्मा बनाम पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय, के विशिष्ट आदेशों के बावजूद इसे कानूनी निष्कर्ष पर नहीं ले जाया गया है। यह 17 जुलाई, 2008 के हलफनामे में भी इसे दर्शाया गया है। वर्तमान मामले में कानून की राह कहीं नहीं गई है। आपराधिक मामले के फैसले की प्रतीक्षा करने के लिए अवमानना कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब इन कार्यवाहियों को समाप्त किया जाना चाहिए। श्री संधू मर चुके हैं, अपीलकर्ता भी मर चुके हैं, उनके वकील श्री रवीन्द्र सेठ भी नहीं रहे और श्री मदन लाल शर्मा ने माफी मांग ली है।

(36) हमारे लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या शर्मा को माफी मांगकर छोड़ दिया जाना चाहिए या आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया जाना चाहिए और उचित दंड दिया जाना चाहिए।

(37) श्री मदन लाल शर्मा के पास जवाब देने के लिए बहुत कुछ है, खासकर जब वह एकमात्र जीवित बचे हों। श्री शर्मा को उन दस्तावेज़ों का उचित सत्यापन सुनिश्चित करना था जिन्हें वह दाखिल कर रहे थे। यह उनका व्यावसायिक कर्तव्य था। वास्तव में श्री शर्मा का न्यायालय के प्रति कर्तव्य और ग्राहक के प्रति कर्तव्य था, जिसका उन्होंने उल्लंघन किया।

(38) उन अधिवक्ताओं के पेशेवर कर्तव्यों के बारे में बात करते हुए,जो भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही में जमींदारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, काम मांगते हैं और आकस्मिक शुल्क का निपटान करते हैं, माननीय श्री न्यायमूर्ति आर. सी. लाहोटी, मुख्य न्यायाधीश ने राजेंद्र वी. पाई बनाम एलेक्स फर्नांडीस[1] में निम्नानुसार टिप्पणी की है

[1] (2002) 4 S.C.C. 212 = AIR 2002 S.C. 1808

"इसमें कोई संदेह नहीं है कि पेशेवर करियर, विशेष रूप से एक वकील के मामले में , ईमानदारी और नैतिकता के उच्च मानक को कायम रखा जाना चाहिए और साबित पेशेवर कदाचार के मामलों को सख्ती से निपटाया जाना चाहिए..."

(39) पंजाब राज्य बनाम शिव राम [2] में, डॉक्टरों की पेशेवर नैतिकता की बात करते हुए, माननीय श्री न्यायमूर्ति आर.सी. लाहोटी, मुख्य न्यायाधीश ने स्व-नियमन की आवश्यकता पर जोर दिया था और कहा था :-

"कि किसी भी पेशे की अवधारणा में एक आचार संहिता निहित होती है, जिसमें बुनियादी नैतिकता होती है जो पेशेवर अभ्यास को नियंत्रित करने वाले नैतिक मूल्यों को रेखांकित करती और इसका उद्देश्य इसकी गरिमा को बनाए रखना है.....इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि काली भेड़ें इस पेशे में प्रवेश कर चुकी हैं और यह पेशा उन्हें प्रभावी ढंग से अलग करने में असमर्थ रहा है। पेशेवर स्व-नियमन के पूरक के लिए बाहरी विनियमन की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है..... ".

(40) आपराधिक अवमानना साबित करने के लिए मनःस्थिति एक आवश्यक घटक नहीं है। डी.सी.सक्सेना बनाम भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश [3]के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्धारित किया:-

"प्रासंगिक बात यह है कि आपत्तिजनक या अपमान करने वाला कृत्य न्याय के मामले में हस्तक्षेप या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति पैदा करता है। जो आवश्यक है वह कार्य , आचरण या शब्दों के प्रकाशन, लिखित, बोले गए या संकेत, दृश्य प्रतिनिधित्व या अन्यथा का प्रभाव या प्रवृत्ति है और क्या यह न्यायालय के अधिकार को कम करके या पक्षपात करके या किसी अन्य तरीके से न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप या बाधा डालकर उसे लांछित करता है या लांछित करने की कोशिश करता है या कम करता है या कम करने की कोशिश करता है ।

(41) चंद्र शशि बनाम अनिल कुमार वर्मा [4] में सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या अवमाननाकर्ता, जिसने अदालत में जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज पेश किए थे, की माफी स्वीकार की जानी चाहिए? इसे निम्नानुसार माना गया था:-

---

[2] (2005) 7 S.C.C.1 = AIR 2005 S.C.3280
[3] (1996) 5 S.C.C. 216= AIR 1996 S.C. 2481
[4] (1995) 1 S.C.C. 421

"न्यायालय के वातावरण की उत्कृष्टता को बनाए रखने के लिए न्यायिक क्षेत्र के प्रदूषकों की अच्छी तरह से देखभाल की जानी आवश्यक है; इसलिए

साथ ही इसे निष्पक्ष रूप से न्याय करने और सभी संबंधितों की संतुष्टि के लिए सक्षम बनाया जा सके। ऐसे व्यक्तियों से उचित तरीके से निपटने की आवश्यकता है, न केवल उन्हें गलत काम के लिए दंडित किया जाए, बल्कि दूसरों को भी इसी तरह के कृत्यों में शामिल होने से रोका जाए, जो प्रशासन प्रणाली में लोगों के विश्वास को हिलाते है।

(42) राजेन्द्र सेल बनाम म.प्र. हाई कोर्ट बार एसो.[5] आपराधिक अवमानना के लिए माफी निम्नलिखित शब्दों में खारिज कर दी गई थी:-

“यदि अदालत की घोर अवमानना करने वाले व्यक्ति को यह धारणा मिलती है कि वह हल्के में छूट जाएगा तो यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। ऐसे मामले में सहानुभूति पूरी तरह से गलत हो जाएगी, दया का कोई अर्थ नहीं होगा। उसके कार्य के लिए निवारक दंड की आवश्यकता है ताकि यह दूसरों के लिए एक उदाहरण बन सके और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस तरह की अवमानना की कोई पुनरावृत्ति ना हो।

(43) भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डी.पी. चड्ढा बनाम त्रियुगी नारायण मिश्रा और अन्य[6] में एक वकील द्वारा पेशेवर कदाचार के सवाल पर विचार किया, जिसने अदालत को गुमराह किया था और अपने मुवक्किल से पुछे बिना समझौता करने के लिए विपरीत पक्ष के साथ मिलकर काम किया था और कानूनी अभ्यासकर्ताओं के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियाँ की:-

“यह पेशे जितनी पुरानी कहावत है कि अदालत और वकील न्याय के रथ के दो पहिये हैं। प्रतिकूल प्रणाली में, यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि जबकि न्यायाधीश शासन संभालता है, तो दो प्रतिद्वंद्वी वकील रथ के पहिये हैं। जबकि आंदोलन की दिशा शासन करने वाले न्यायाधीश द्वारा नियंत्रित की जाती है, आंदोलन स्वयं पहियों द्वारा सुविधाजनक होता है जिसके बिना न्याय का रथ नहीं चल सकता है और यहां तक कि ढह भी सकता है। कर्तव्यों के निर्वहन में आपसी विश्वास और बेंच और बार के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध रथ की गति को सुचारू बनाते हैं। अदालत के जिम्मेदार अधिकारियों के रूप में, जैसा कि उन्हें कहा जाता है और सही भी है, वकील का समग्र दायित्व है कि वह न्याय के उचित और उचित प्रशासन में उचित और उचित तरीके से अदालतों की सहायता करें। जोश और उत्साह पेशे में सफलता के प्रतीक हैं, लेकिन अति उत्साह और गुमराह उत्साह का

[5] (2005) 6 S.C.C. 109 = AIR 2005 S.C. 2473
[6] (2001) 2 S.C.C. 221

एक पेशेवर के व्यक्तित्व में कोई स्थान नहीं है। एक ग्राहक को सफलता अर्जित करने के उत्साह में एक वकील को अच्छी तरह से परिभाषित सीमाओं या औचित्य, प्रतिष्ठा और न्याय की सेमाओं को लांघने की जरूरत नही है। स्वतंत्रता और निडरता अदालत में कुछ भी करने और ग्राहक के लिए सफलता अर्जित करने की स्वतंत्रता का लाइसेंस नहीं है, चाहे इसके लिए कुछ भी कीमत चुकानी पड़े और पेशेवर मानदंडों का जो भी त्याग करना पड़े।"

(44) सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों और अवमाननाकर्ता के आचरण के कारण हम यह कहने के लिए बाध्य हैं की मदन लाल शर्मा आपराधिक अवमानना के दोषी हैं। हमें उनके द्वारा मांगी गई माफ़ी को स्वीकार करने का कोई कारण नहीं मिला। हमने अवमाननाकर्ता को उसे लगाई जाने वाली सजा के संबंध में प्रस्तुतियाँ देने का अवसर दिया है।

(45) श्री आर.एस.चीमा अवमाननाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने हमारा ध्यान न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 और न्यायालय की अवमानना (पंजाब और हरियाणा) नियम 1974 (इसके बाद '1974 नियम के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया है। विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क यह है कि अवमाननाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बाद और उस नोटिस के जवाब में उसके न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के बाद, , अवमाननाकर्ता को आरोप-पत्र दिया जाना आवश्यक था और आरोप का उत्तर देने, शपथपत्र या गवाहों के माध्यम से साक्ष्य का नेतृत्व करने , आरोप के समर्थन में शपथपत्र दाखिल करने वाले अभिसाक्षी से जिरह करने का अवसर दिया जाना चाहिए था ।

(46) 1974 नियमों के नियम 6(3) कहता है कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया प्रत्येक नोटिस इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र में होगा और उसके साथ प्रस्ताव याचिका या संदर्भ की एक प्रति, जैसा भी मामला हो, हलफनामे की प्रतियों के साथ होगा , यदि कोई हों। नियम 6(3) के अनुसार, 13 मार्च, 1983 का नोटिस वास्तव में श्री मदन लाल शर्मा को 11 अप्रैल, 1983 (वास्तविक) के लिए भेजा गया था। नोटिस श्री मदनलाल शर्मा को व्यक्तिगत रूप से 8 अप्रैल,1983 को प्राप्त हुआ था। इसलिए, 1974 के नियमों के नियम 6(3) के प्रावधान का निश्चित रूप से इस मामले में अनुपालन किया गया है।

(47) तब विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह तर्क दिया गया था कि वर्तमान चरण 1974 के नियम 8(3) द्वारा परिकल्पित चरण था । यह उप नियम इस प्रकार प्रदान करता है:-

"(3) यदि ऐसा व्यक्ति दलील देने से इनकार करता है या दलील नहीं देता है, या मुकदमा चलाए जाने का दावा करता है या उच्च न्यायालय उसके दोषी होने की दलील पर उसे दोषी नहीं ठहराता

है, तो यह हो सकता है आरोप के मामले का निर्धारण या तो दायर किए गए हलफनामों के आधार पर करें या ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य लेने के बाद करें जो आवश्यक हो।

(48) इसलिए, एक औपचारिक आरोप तैयार किया जाना चाहिए, अवमाननाकर्ता पर तामील किया जाना चाहिए और उसके दोषी या दोषी न होने की दलील दर्ज की जानी चाहिए। इसके बाद, मामले पर या तो साक्ष्य दर्ज करके या हलफनामे के आधार पर विचार करने की आवश्यकता थी।

(49) दरोगा सिंह और अन्य बनाम बी.के. पांडे [7]पर निर्भर किया गया था। इस मामले में, बिहार में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश की एक अदालत पर कई पुलिस अधिकारियों द्वारा हमला किया गया था। पुलिस अधिकारियों के इस कृत्य और आचरण को आपराधिक अदालत की अवमानना के रूप में लिया गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, मामले से निपटते समय, निम्नानुसार कहा:-

"यह इस न्यायालय द्वारा बार-बार माना गया है (संदर्भ 1995(2) एससीसी 584) कि ना तो आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत और ना ही साक्ष्य अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया न्यायालय की अवमानना अधिनियम की धारा 15 के तहत शुरू की गई कार्यवाही के लिए आकर्षित होती है। उच्च न्यायालय ऐसे मामलों को संक्षेप में निपटा सकता है और अपनी प्रक्रिया अपना सकता है। सारांश प्रक्रिया की इस अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते समय न्यायालय द्वारा बरती जाने वाली एकमात्र सावधानी यह है कि पालन की जाने वाली प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए और अवमाननाकर्ताओं को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के बारे में अवगत कराया जाए और उन्हें सूचित किया जाए और एक निष्पक्ष और उचित अवसर दिया जाए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अवमानना कार्यवाही पर शीघ्रता से सारांश में निर्णय लिया जाना चाहिए, दोषियों को उन लोगों से जिरह करने का अवसर दिए बिना , जिन्होंने उनके खिलाफ शपथ पत्र पर गवाही दी थी, उनकी दोष सीधी दर्ज कर दी गई। यद्यपि इस मामले में अपनाई गई प्रक्रिया संक्षिप्त थी लेकिन अवमाननाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए थे। अवमाननाकर्ताओं को उनके खिलाफ लगाए गए विशिष्ट आरोपों से अवगत कराते हुए नोटिस जारी किए गए थे। उन्हें उनके अनुरोध के अनुसार अपने प्रति-शपथपत्र और अतिरिक्त प्रति/पूरक हलफनामे दाखिल करके आरोपों का प्रतिकार करने का अवसर दिया गया। उन्हे किसी अन्य व्यक्ति के हलफनामे दायर करने का भी अवसर दिया गया जो उन्होंने किया। उन्हें अपने बचाव में कोई अन्य सामग्री तैयार करने का अवसर दिया गया जो उन्होंने नहीं किया। अधिकांश अवमाननाकर्ताओं

[7] AIR 2004 S.C. 2579

ने दलील दी थी कि प्रासंगिक समय पर वे अपने संबंधित पुलिस स्टेशनों में ड्यूटी पर थे, हालांकि एक ही शहर में थे। उन्होंने अपनी उपस्थिति के समर्थन में स्टेशन डायरी और ड्यूटी चार्ट की प्रतियां भी संलग्न कीं। उच्च न्यायालय ने एलिबी की दलील को स्वीकार नहीं किया क्योंकि ये सभी कागजात अवमाननाकर्ताओं द्वारा स्वयं तैयार किए गए थे और किसी भी वरिष्ठ अधिकारी ने ऐसी याचिका का समर्थन नहीं किया था। उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पुलिस महानिदेशक द्वारा की गई रिपोर्टों के साथ-साथ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश श्री बरई के शपथपत्रों के सामने खारिज कर दिया गया। दो न्यायालय के अधिकारी और कुछ वकीलों के हलफनामे जिन्होंने घटना देखी थी।

31. अवमानना की कार्यवाही का निर्णय सारांशित तरीके से किया जाना चाहिए। न्यायाधीश को मामले की सुनवाई पर पूर्ण नियंत्रण रखना होता है और इसे प्रभावी और निवारक बनाने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होती है। यथाशीघ्र और शीघ्रता से व्यवस्था बहाल करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। कार्यवाहियों को अनावश्यक रूप से खींचने से उनकी गति और दक्षता, जिसके साथ न्याय प्रशासित किया जाना है, में बाधा उत्पन्न होगी । इस न्यायालय ने इन सभी पहलुओं पर विचार करते हुए विनय चंद्र मिश्रा (कथित अवमाननाकर्ता), 1995(2) एससीसी 584 में कहा कि आपराधिक अवमानना निस्संदेह एक अपराध है, लेकिन यह एक सुई जेनरिस अपराध हैऔर इसलिए ऐसे अपराध के लिए, देश में सामान्य कानून और स्टैचूट कानून दोनों के तहत अपनाई गई प्रक्रिया हमेशा सारांशित रही है। यह देखा गया कि त्वरित कार्रवाई करने और न्यायाधीश को सुनवाई का पूर्ण नियंत्रण देने की आवश्यकता थी। इस बात पर जोर दिया गया कि जितनी जल्दी हो सके अदालती कार्यवाही में व्यवस्था बहाल करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की जरूरत है। उपरोक्त संदर्भित मामले से उद्धृत करने के लिए।

"हालांकि, तथ्य यह है कि प्रक्रिया सारांशित है इसका मतलब यह नहीं है कि प्रक्रियात्मक आवश्यकता, अर्थात, आरोप से निपटने का अवसर, अवमाननाकर्ता को अस्वीकार कर दिया गया है। परिशुद्धता की डिग्री जिसके साथ आरोप लगाया जा सकता हैपरिस्थितियों पर निर्भर करता है। जब तक विशिष्ट आरोपों का सार स्पष्ट कर दिया जाता है या अन्यथा आवेदक को विशिष्ट आरोप के बारे में पता होता है, तब तक किसी विशिष्ट आरोप में आरोप तैयार करना हमेशा आवश्यक नहीं होता है। न्यायपालिका और न्यायविदों के बीच आम सहमति यह है कि आपत्ति के बावजूद न्यायाधीश स्वयं अवमानना से निपटता है और अवमाननाकर्ता के पास खुद का बचाव करने का बहुत कम अवसर होता है, ऐसे मामले बोहोत काम बचे हैं जहां केवल मौके पर ही सज़ा देना उचित है, बल्कि कुछ अपराधियों से निपटने का यही एकमात्र यथार्थवादी तरीका है। यह

प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, जैसे कि निमो ज्यूडेक्स, का उल्लंघन नहीं करती है क्योंकि अभियोजन पक्ष का उद्देश्य न्यायाधीश की व्यक्तिगत रूप से रक्षा करना नहीं है, बल्कि न्याय प्रशासन की रक्षा करना है। तत्काल सजा का खतरा कदाचार के खिलाफ सबसे प्रभावी निवारक है। न्यायाधीश को मामले की सुनवाई पर पूरा नियंत्रण रखना होगा और उसे यथाशीघ्र और शीघ्रता से आदेश बहाल करने के लिए कदम उठाने में सक्षम होना चाहिए। समय कारक महत्वपूर्ण है. अवमानना की कार्यवाही को लंबा खींचने का मतलब है मुख्य कार्यवाही में एक लंबा रुकावट जो न्यायालय या समय को पंगु बना देता है और अप्रत्यक्ष रूप से उस गति और दक्षता को बाधित करता है जिसके साथ न्याय किया जाता है। त्वरित न्याय कभी भी पूरी तरह से संतोषजनक नहीं हो सकता है, फिर भी यह न्यायालय में विघटनकारी आचरण से निपटने का सबसे सरल, सबसे प्रभावी और कम से कम असंतोषजनक तरीका प्रदान नहीं करता है। जब तक अवमाननाकर्ता को उसके बचाव में सुनवाई का अवसर देकर उसके हितों की पर्याप्त रूप से रक्षा की जाती है, तब तक न्यायालय के सामने अवमानना के मामले में सारांश प्रक्रिया की भी सराहना की जाती है और उसे दोष नहीं दिया जाता है।

(50) इस मामले में विचार करने योग्य प्रश्न यह है कि क्या हलफनामे के आधार पर कोई साक्ष्य दर्ज करना होगा या मामला तय किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऊपर उद्धृत पैरा 31 में कहा है कि अवमानना की कार्यवाही का निर्णय सारांशित तरीके से किया जाना चाहिए और न्यायाधीश को मामले की सुनवाई पर पूर्ण नियंत्रण रखना होगा। कार्यवाही को अनावश्यक रूप से खींचने से न्याय प्रदान करने की गति और दक्षता बाधित होगी। न्यायालय ने विनय चंद्र मिश्रा[8] पर भरोसा किया था, जिसका उद्धरण ऊपर भी प्रस्तुत किया गया है।

(51) वर्तमान मामले में अवमाननाकर्ता के संस्करण पर हमारे द्वारा विस्तार से विचार किया गया है। उन्होंने अपने बचाव में 13 मई, 1983 को हलफनामा दायर किया और 17 जुलाई, 2008 को दूसरा हलफनामा दायर किया। उनके आचरण पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। माफी स्वीकार की जानी चाहिए या नहीं, इस पर विचार करते हुए हम पहले ही यह अभ्यास कर चुके हैं। निंदा करने वाले को अपना बचाव करने के लिए 25 वर्षों का लंबा समय मिला। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि न्याय के हित में और न्याय प्रशासन की रक्षा के लिए, अवमाननाकर्ता को माफ नहीं किया जा सकता है।

---

[8] 1995 (2) S.C.C. 584

(52) तदनुसार श्री मदन लाल शर्मा को आपराधिक अवमानना का दोषी माना जाता है। न्यायालय अवमानना अधिनियम,1971 की धारा 12(1) न्यायालय की अवमानना के लिए सजा का प्रावधान करती है। अवमाननाकर्ता को साधारण कारावास की सजा दी जा सकती है, जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो दो हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

(53) हम इसके द्वारा श्री मदन लाल शर्मा को एक महीने के लिए साधारण कारावास की सजा देते हैं। हालाँकि, अदालत की अवमानना अधिनियम की धारा 19 के संदर्भ में सजा 60 दिनों की अवधि के लिए निलंबित रहेगी।

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उदेश्य के लिए इसके उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उदेशयों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य के लिए उपयुक्त होगा।

सरू गोयल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

पानीपत, हरियाणा